

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

—: अधिसूचना :—

राँची/दिनांक:—21/09/21

अधिसूचना सं.—01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)—18—01/2020.....⁴⁷²²...../राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—06/एस.—06—(प्रो.)—03/ 2009—2981/वि. दिनांक 01.09.2009 के कंडिका—20 (क) (i) तथा (ii) में निम्न प्रावधान है:—

(i) यदि PB-I ग्रेड वेतन रुपये 1900 का कोई सरकारी सेवक (LDC) 08 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत PB-I ग्रेड वेतन रुपये 2400 (UDC) में प्रोन्नति प्राप्त करते हैं तथा उस ग्रेड वेतन में अगले 10 वर्षों तक बिना प्रोन्नति के उसी ग्रेड वेतन में बने रहते हैं तो एम.ए.सी.पी. योजना के तहत 18 वर्ष (8+10) पूरा करने के उपरांत PB-I ग्रेड वेतन रुपये 2800 में द्वितीय वित्तीय उन्नयन के पात्र होंगे।

(ii) यदि इसके बाद उन्हें कोई प्रोन्नति नहीं मिलती है, तो अगले 10 वर्ष की सेवा अर्थात् (8+10+10) 28 वर्ष पूरी करने के उपरांत उन्हें PB-II ग्रेड वेतन रुपये 4200 में तीसरा वित्तीय उन्नयन देय होगा।

2. जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आदेश संख्या—719 दिनांक 20.02.2019 के आलोक में सहायक अभियंता में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त (Inducted) अभियंताओं को सहायक अभियंता के उपरांत ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. के लिए विनिश्चित कालावधि पूर्ण करने के बाद प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन यथा अनुमान्य संगत नियमों के अनुसार दिया जायेगा।

3. राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—03/एस. 06—(प्रो.)—02/ 2002—5207/वि. दिनांक 14.08.2002 एवं योजना—सह—वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या—06/एस.—06—(प्रो.)—03/2009—2981/वि. दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 16.06.2021 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के क्रम में झारखण्ड अभियंत्रण सेवा संवर्ग के निम्न तालिका में अंकित कार्यपालक अभियंता एवं उससे उपर स्तर के पदाधिकारियों को संवर्ग में प्रथम योगदान से लगातार 12 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तंभ—03 में अंकित तिथि एवं वेतनमान तथा सम्वर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 10/20/30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत संशोधित

सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अन्तर्गत क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तंभ-05, 07 एवं 08 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में प्रदान किया जाता है।

क्रम सं.	नाम/आई.डी./गृह जिला/ जन्मतिथि/सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना	संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना					अभि.
		प्रथम ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	पूर्व में प्रदत्त प्रथम एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	संशोधित प्रथम एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	पूर्व में प्रदत्त द्वितीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	संशोधित द्वितीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	तृतीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत लाभ प्रदान करने की तिथि (वेतनमान सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री राजेश सोलोमन तिग्गा / 3857 / रॉची / 02.01.64 / 07.04.1989				07.04.09 (वेतनमान 78800—209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 7600)	01.09.08 (वेतनमान 78800—209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600—39100 0 ग्रेड पे. 7600)		अधि.सं. 5484 दि. 06.05.14 द्वारा दि. 07.04.09 से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी. पी. को संशोधित करते हुए।
2	श्री सुरेन्द्र कुमार 3893/भागलपुर/ 26.02.64 / 02.09.1989				02.09.09 (वेतनमान 78800—209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 7600)	01.09.08 (वेतनमान 78800—209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600—39100 0 ग्रेड पे. 7600)		अधि.सं. 5484 दि. 06.05.14 द्वारा दि. 02.09.09 से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी. पी. को संशोधित करते हुए।
3	स्व. शहीदन उरॉव 4774 / लोहरदगा / 10.08.60 / 20.01.1987 (कनीय अभि.) / 07.04.1997 (सहायक अभि.)			01.09.08 (वेतनमान 10,000—15200 लेबल—10 समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 5400)	01.09.08 (वेतनमान 10,000— 15200 लेबल—10 समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 5400)			अधि.सं. 1649 दि. 29.03.17 द्वारा दि. 01.09.08 से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी. पी. को संशोधित करते हुए।
4	श्री छट्टु तिग्गा (से.नि.) / 4622 / 21.04.1960 / 20.01.1987 (कनीय अभि.) / 01.02.1996 (सहायक अभि.)	01.02.2008 (वेतनमान 67700—20870 लेबल 11 समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे 6600)			01.09.08 (वेतनमान 10,000—15200 लेबल—10 समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 5400)	01.02.16 (वेतनमान 78800—209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600—39100 0 ग्रेड पे. 7600)		अधि.सं. 1649 दि. 29.03.17 द्वारा दि. 01.09.08 से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी. पी. को संशोधित करते हुए।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	श्री निरंजन उरॉव/4624/ 16.01.1960/ 20.01.1987 (कनीय अभि.)/ 13.02.1996 (सहायक अभि.)	13.02.2008 (वेतनमान 67700— 20870 लेबल 11 समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे 6600)			01.09.08 (वेतनमान 10,000—15200 लेबल—10 समकक्ष वेतनमान 15600—39100 ग्रेड पे. 5400)	13.02.16 (वेतनमान 78800— 209200 लेबल—12, समकक्ष वेतनमान 15600— 39100 ग्रेड पे. 7600)		अधि.सं. 1649 दि. 29.03.17 द्वारा दि. 01.09.08 से स्वीकृत द्वितीय एम.ए.सी. पी. को संशोधित करते हुए।

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है:-

1. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 09.08.1999 से प्रभाव है किन्तु इसके अन्तर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।
2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।
3. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।
4. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण क्रमशः वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 एवं 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।
5. जिन सेवानिवृत्त पदाधिकारियों द्वारा योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1365 दिनांक 07.04.2017 के आलोक में घोषणा-पत्र समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें भुगतान प्राप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकार को घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।
6. संबंधित उक्त पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य के किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा। किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरिक्त भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 4722

/रांची, दिनांक:- 21/09/21

प्रतिलिपि:- अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रांची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 4722

/रांची, दिनांक:- 21/09/21

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, रांची/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जाँच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- ५७२२

/राँची, दिनांक:- २१/११/२१

प्रतिलिपि:-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विकास कुमार)

सरकार के अवर सचिव।